छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 838/2008

1. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, — अपीलार्थी
सदर लाईन, राजनांदगांव, (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, — प्रति अपीलार्थी
कार्यालय नगर पालिक निगम,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 25 जुलाई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार जैन द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के समक्ष दिनांक 02.08.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नहीं मिलने कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 06.09.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उक्त अपील पर समयावधि में आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में आंशिक जानकारी देना बताया गया तथा उसके बाद आयोग के निर्देश पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन कराकर जानकारी दी जा चुकी है। पूर्व में अपीलार्थी ने बताया कि दूसरे खसरा क्रमांक के संबंध में जानकारी दे रहे है, किन्तु तहसीलदार द्वारा जो अंतिम सीमांकन किया गया है वह सही खसरा क्रमांक के बारे में जानकारी दिनांक 05.06.2009 को दी गई है। प्रकरण में अपूर्ण जानकारी के लिए त्रुटिकर्ता जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 20.07.2009 को प्रस्तुत किया गया। चूंकि दिया गया उत्तर संतोषप्रद है और जन सूचना अधिकारी की जानकारी छिपाने के बारे में कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है, अतः उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। चूंकि सीमांकन की जानकारी तो दी जा चुकी है तथा आयोग के निर्देश के बाद अपीलार्थी की निजी भूमि पर जो नलकूप निर्माण अथवा सड़क निर्माण किया गया है, उसके मुआवजे के बारे में जन सूचना अधिकारी ने नगर निगम में कार्यवाही जारी होना बताया है, अतः अब आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे इससे संबंधित नस्ती पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही करें और अपीलार्थी को जो भी राशि मुआवजें के रूप में देय हो, वह तीस दिवस के अन्दर प्रदान की जावे तथा आयोग को भी उसका प्रतिवेदन भेजा जावे। साथ ही इस भूमि अधिग्रहण के प्रकरण में नगर निगम के जिन अधिकारियों की पूर्व में त्रुटि पाई जाती हो, उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावे। प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपील के निराकरण में काफी अधिक समय लिया गया है, अतः भविष्य में प्रथम अपीलीय अधिकारी/आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में प्रथम अपील का निराकरण अधिनियम में दी गई समयावधि के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जावे। साथ ही प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा—19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 1000/— रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com